महत्वपूर्ण

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या :152/उ.सू.आ./2014–15 दिनांक : 06 जनवरी 2015

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
6. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
7. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

विषय : अतिरिक्त शुल्क की मांग के विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवायी किये जाने विषयक.

महोदय/महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की मांग किये जाने पर अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 3 के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता को सूचना की छायाप्रति आदि तैयार करने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क का नोटिस दिये जाने का प्राविधान है जिसमें लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि इस अतिरिक्त शुल्क के नोटिस में उनके द्वारा अनुरोधकर्ता के मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष बिन्दुवार सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क की गणना कर उसे जमा कराने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को सूचित किया जाये. ऐसे सूचित किये गये अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध अपील करने का अधिकार अनुरोधकर्ता को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3(ख) के अन्तर्गत प्राप्त है.

2. आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त अतिरिक्त शुल्क की सही गणना नहीं की गयी होती है, तथा उनके द्वारा अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध अपील करने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित जानकारी भी नहीं दी जाती है. यह प्रक्रिया सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुकूल नहीं है.

3. प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोधकर्ताओं को दिये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क के नोटिस के अन्त में, नोटिस के विरूद्ध प्रथम अपील किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूरा नाम, विभागीय मौलिक पदनाम, दूरभाष संख्या तथा ई–मेल की जानकारी दिया जाना आवश्यक है.

4. कृपया अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों को उपरोक्त दी गयी व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों को शासन स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त